

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 513]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 नवम्बर 2017 — अग्रहायण 1, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक 11059 / 3468 / 21-ब / छ.ग. / 17. — सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 122, 128 एवं 129 सहपठित आदेश 5 के नियम 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त समर्थकारी सभी अन्य शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्वारा, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, छत्तीसगढ़ न्यायालयों की आदेशिकाओं की कूरियर, फैक्स एवं इलैक्ट्रॉनिक मेल सेवा के द्वारा तामिली (सिविल कार्यवाहियां) नियम, 2017 बनाती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 122 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

‘छत्तीसगढ़ न्यायालयों की आदेशिकाओं की कूरियर, फैक्स एवं इलैक्ट्रॉनिक मेल सेवा के द्वारा तामिली (सिविल कार्यवाहियां) नियम, 2017’

नियम
अध्याय-एक

सामान्य

- संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ।**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ न्यायालयों की आदेशिकाओं की कूरियर, फैक्स एवं इलैक्ट्रॉनिक मेल सेवा के द्वारा तामिली (सिविल कार्यवाहियां) नियम, 2017 कहलायेंगे।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
(3) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- उपयोजन।**— ये नियम, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अथवा किसी अधीनस्थ न्यायालय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकरण के समक्ष लम्बित वार्डों, रिट याचिकाओं, आवेदन-पत्रों, अपीलों, पुनरीक्षणों अथवा पुनराविलोकनों को सम्मिलित करते हुए सभी सिविल कार्यवाहियों, पर लागू होंगे।
- परिभाषा।**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “अनुमोदित कूरियर” से अभिप्रेत है अनुमोदित कूरियरों के पैनल पर कूरियर;
(ख) “मुख्य न्यायाधीश” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश;

- (ग) “कोड” से अभिप्रैत है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5);
- (घ) “कूरियर” से अभिप्रैत है डाक की वस्तुओं को सुपुर्दगी के व्यापार में लगे हुए, एक स्वत्वधारी संस्था, एक फर्म, एक कम्पनी अथवा एक निगमित निकाय;
- (ङ) “जिला न्यायाधीश” से अभिप्रैत है छत्तीसगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश;
- (च) “इलेक्ट्रानिक मेल” से अभिप्रैत है कम्प्यूटर आधारित संसूचना तंत्र के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप में संदेश (मेसेज) की विरचना करने, भेजने, रखने एवं प्राप्त करने वाली संग्रहण एवं अग्रेषण रीति;
- (छ) “इलेक्ट्रानिक मेल सेवा” से अभिप्रैत है यथास्थिति, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा डिजिटली हस्ताक्षरित इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा प्री-डिजाईन्ड टेम्पलेट रूप में भेजा गया समन;
- (ज) “फैक्स” (एक प्रतिरूप का संक्षिप्त रूप), प्रिंटर या किसी अन्य आउटपुट डिवाइस से किसी दूरभाष नम्बर पर, स्कैन की गई मुद्रित सामग्री (पाठ्यभाग या आकृति) का दूरभाष पारेषण की प्रक्रिया है;
- (झ) “न्यायालय” से अभिप्रैत है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अधिकरणों सहित छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर के सभी न्यायालय;
- (ञ) “डाक की वस्तुयें” में सम्मिलित है ‘न्यायालयीन समन तामील’ के लेबल के साथ अनुमोदित कूरियर को तामिली हेतु सौंपे गये न्यायालय के समन, नोटिस, दस्तावेज या अन्य संसूचना रखो हुई लिफाफा, पैकेट, पार्सल;
- (ट) “सुपुर्दगी का प्रमाण” से अभिप्रैत है न्यायालय के समन/नोटिस या कोई अन्य संसूचना की तामिली के संबंध में, इन नियमों द्वारा विहित प्रारूप में, अनुमोदित कूरियर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा इसमें सुपुर्दगी न होने का कारण सम्मिलित है;
- (ठ) “अनुशंसा समिति” से अभिप्रैत है प्रस्तावित अनुमोदित कूरियर की पैनल तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा गठित समिति जिसमें रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय के एक अधिकारी जो संयुक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न न हो एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा का एक अधिकारी सम्मिलित है;
- (ड) “रजिस्ट्रार जनरल” से अभिप्रैत है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल।

अध्याय-दो

कूरियर का चयन एवं कूरियर द्वारा तामिली

4. **अनुमोदित कूरियर चयन करने की प्रक्रिया।**— (क) उच्च न्यायालय, ऐसे कूरियर, जो अनुमोदित कूरियर के रूप में चयनित होने हेतु इच्छुक हो, से ऐसे निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि इन नियमों में एवं उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों एवं अनुदेशों में समय समय पर दी गई हो, ऐसे विनिर्दिष्ट कालावधि, जैसा कि अधिसूचना में दर्शित हो, के भीतर निविदा आमंत्रित करेगा। इन नियमों से संलग्न प्ररूप ‘क’ में यथासंभव निविदा जारी की जायेगी।

- (ख) मुख्य न्यायाधीश, एक ‘अनुशंसा समिति’ गठित करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—
 - (एक) रजिस्ट्रार जनरल, जो समिति का प्रमुख होगा;
 - (दो) एक अधिकारी जो संयुक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न न हो; तथा
 - (तीन) छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा का एक अधिकारी।
- (ग) अनुशंसा समिति, निम्नलिखित पर विचार करते हुए सभी प्रस्तावित अनुमोदित कूरियर का पैनल तैयार करेगी,—
 - (एक) कूरियर की प्रतिष्ठा;
 - (दो) कूरियर का पूर्व रिकार्ड;
 - (तीन) कूरियर के सगठन की संरचना एवं उसका नेटवर्क जिसमें उसकी वित्तीय क्षमता एवं प्रास्तिक सम्मिलित है;
 - (चार) इच्छुक सेवा प्रदान करने हेतु कूरियर का अनुभव एवं क्षमता;

(पांच) इन नियमों में यथा वर्णित निबंधन एवं शर्तों के पालन करने की तत्परता; और

(छ:) उच्च न्यायालय द्वारा वर्णित मापदण्ड पूरा करने की इच्छा।

(घ) (एक) अनुशंसा समिति, प्रस्तावित पैनल तैयार करने के पश्चात्, अनुमोदित कूरियर के पैनल के विचारण एवं अनुमोदन हेतु मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उसे रखेगा। मुख्य न्यायाधीश, आवेदकों के सम्पूर्ण सूची के साथ साथ अनुमोदित कूरियर के प्रस्तावित पैनल का परीक्षण करेगा तथा उसके परीक्षण के पश्चात्, चयनित अनुमोदित कूरियर के अंतिम पैनल अधिसूचित करने हेतु समुचित निर्देश जारी करेगा।

(दो) रजिस्ट्रार जनरल, सभी अनुमोदित कूरियर को, उनको सूची में समिलित करने के संबंध में संसूचित करेगा।

5. **कूरियर द्वारा अनुबंध एवं वचनपत्र**— अनुमोदित कूरियर प्ररूप 'ख' में ऐसे परिवर्तन एवं उपान्तरण, जैसा कि आवश्यक पाया जाये, के साथ अनुबंध करेगा तथा निम्नलिखित का कथन करते हुए, रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष वचनबंध भी प्रस्तुत करेगा,—

(क) यह कि अनुमोदित कूरियर, छत्तीसगढ़ के किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मुकदमे में पक्षकार नहीं है तथा यदि इस प्रकार है तो उसका पूर्णतः प्रकटन करेगा;

(ख) यह कि अनुमोदित कूरियर, उसके द्वारा सुपुर्द की जाने वाली दस्तावेजों/वस्तुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पूर्णतः जवाबदेह होगा;

(ग) यह कि अनुमोदित कूरियर को सौंपी गई डाक की वस्तुयें, उसके नियमित कर्मचारियों, जो हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का सुवित्तयुक्त ज्ञान रखते हों, के द्वारा ही प्रबंध किया जायेगा;

(घ) यह कि अनुमोदित कूरियर, रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अनुमोदित रूप में, अपना 'सुपुर्दगी' का प्रमाण' रूपांकित करेगा;

(ङ) अनुमोदित कूरियर, 30 दिवस की कालावधि के भीतर न्यायालयों से अभिस्वीकृति के अध्यधीन, तामील आदेशिका के मामले में प्राप्तकर्ता के सुस्पष्ट हस्ताक्षर के साथ सुपुर्दगी का प्रमाण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा अथवा तामील न की गयी आदेशिका के मामले में सुपाद्य हस्तलेखन द्वारा उचित रिपोर्ट के साथ लिफाफा वापस करेगा। संबोधिती द्वारा इंकार किये जाने की दशा में, वस्तु लेने से इंकार करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पद नाम या संबोधिती से उसके संबंध का, तामील न की गयी वस्तु पर स्पष्ट रूप से वर्णित किया जायेगा; तथा

(च) सुपुर्दगी का प्रमाण डाक का सुपुर्दगी लेने वाले व्यक्ति के शपथ पत्र से समर्थित होगा।

6. **अनुमोदित कूरियर के पैनल से कूरियर को हटाने की प्रक्रिया**— (क) कूरियर का नाम पैनल से हटाये जाने का दायी होगा यदि,—

(एक) न्यायालय, जिसने समन जारी किया है अथवा जिसकी ओर से समन जारी किया गया है, प्रथम दृष्टया यह पाता है कि कूरियर को सौंपे गये डाक की वस्तु की सुपुर्दगी के लिये कूरियर द्वारा नियोजित व्यक्ति ने यथास्थिति, मिथ्या शपथ पत्र प्रस्तुत किया है या मिथ्या रिपोर्ट दिया है;

(दो) यह पाया जाता है कि वादियों, अधिवक्ताओं या न्यायालय की अपेक्षाओं के अनुसार कूरियर, सेवा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है;

(तीन) यह पाया जाता है कि कूरियर, दोषयुक्त सेवा प्रदान कर रहा है;

(चार) यह पाया जाता है कि कूरियर ने आवेदन में मिथ्या कथन किया है; और

(पांच) यह पाया जाता है कि कूरियर ने कुछ ऐसा कारित किया है, जिसे पैनल से कूरियर को हटाने हेतु पर्याप्त आधार के रूप में समझा जा सकता है।

(छ) जैसे ही रजिस्ट्रार जनरल के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि कूरियर ने उपरोक्त खण्ड (क) के उल्लंघन में कार्य किया है अथवा उसकी जानकारी में यह लाया गया है कि उसने ऐसा कुछ किया है जो कूरियर को इस नियम के अधीन हटाये जाने हेतु दायी है तो वह उसके संबंध में जांच करेगा या इस संबंध में जांच करने हेतु किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त करेगा। यदि रजिस्ट्रार जनरल निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसने ऐसा कुछ किया है जो उसे पैनल से हटाने हेतु दायी बनाता है तो वह कूरियर को, स्पष्टीकरण मांगेगे कि क्यों न उसे हटाया जाना चाहिये। रजिस्ट्रार जनरल, अपनी अनुशंसा के साथ हटाये जाने के लिये प्रस्तावित कूरियर से प्राप्त प्रतिउत्तर, यदि कोई हो, को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेगा।

(ग) मुख्य न्यायाधीश, रजिस्ट्रार जनरल की अनुशंसाओं, कूरियर द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर, यदि कोई हो, का अध्ययन करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने पर जैसा कि मुख्य न्यायाधीश समझे, अनुमोदित कूरियर के पैनल से कूरियर को हटाने हेतु रजिस्ट्रार जनरल के अनुशंसा को अनुमोदित कर सकेगा या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा या ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा कि मुख्य न्यायाधीश समुचित समझे।

(घ) मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कूरियर को हटाने की अनुशंसा को अनुमोदित किये जाने के मामले में, कूरियर का नाम, अनुमोदित कूरियर के पैनल से हटाया जायेगा तथा रजिस्ट्रार जनरल उक्त कूरियर को तदनुसार सूचित करेगा।

अध्याय—तीन
फैक्स द्वारा तामिली

7. **पक्षकार फैक्स नंबर उपलब्ध करायेंगे, यदि वे दूसरे पक्ष को फैक्स द्वारा तामील कराने के इच्छुक हों।—** यदि कोई पक्षकार, आदेशिका को फैक्स द्वारा भेजने का इच्छुक है, तो वह दूसरे पक्षकार जिसे फैक्स द्वारा तामील कराना चाहता है, का फैक्स नंबर उपलब्ध करायेगा।

8. **फैक्स के द्वारा भेजी जाने वाली आदेशिका में आदेशिका सहित फैक्स किये गये पृष्ठों की संख्या का लिखा जाना।—** फैक्स द्वारा भेजी जाने वाली आदेशिका में यह टीप होगी कि आदेशिका दस्तावेज सहित या उसके बिना, फैक्स द्वारा भेजी जा रही है। दस्तावेजों को भी फैक्स द्वारा भेजे जाने की स्थिति में आदेशिका पर भी पृष्ठों की संख्या उल्लिखित की जायेगी।

9. **फैक्स द्वारा भेजी गई आदेशिका की लागत को पक्षकार वहन करेंगे।—** यदि पक्षकार, फैक्स द्वारा आदेशिका भेजे जाने हेतु अनुमति देता है, तो ऐसा पक्षकार, आदेशिका एवं दस्तावेजों, यदि कोई हो, उसके साथ भेजने में आयी लागत को वहन करेगा। आदेशिका भेजने वाला पक्षकार, फैक्स द्वारा आदेशिका भेजने के समर्थन में शपथ पत्र के साथ किसी विलंब के बिना, न्यायालय को फैक्स भेजने की पावती प्रस्तुत करेगा।

10. **न्यायालय की सुविधा का उपयोग करते हुए फैक्स द्वारा भेजी गई आदेशिका/दस्तावेजों हेतु शुल्क।—** जहां उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सुविधा के द्वारा दस्तावेजों के साथ या उसके बिना, भेजा जाना है, वहां पक्षकार को ऐसी दर पर शुल्क जमा करने के लिए कहा जायेगा, जैसा कि उसके लिए उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाये।

अध्याय—चार
इलेक्ट्रानिक मेल सेवा द्वारा तामिली

11. **पक्षकारगण इलेक्ट्रानिक मेल पता उपलब्ध करायेंगे, यदि इलेक्ट्रानिक मेल द्वारा दूसरे पक्षकार को तामिल करने का इच्छुक है।—** इलेक्ट्रानिक मेल सेवा द्वारा दूसरे पक्षकार को आदेशिका भेजने का इच्छुक पक्षकार, दूसरे पक्षकार या पक्षकार जिसे इलेक्ट्रानिक मेल सेवा द्वारा तामील कराना चाहता है, के समर्त दस्तावेजों की सत्य प्रति साप्ट कापी तथा इलेक्ट्रानिक मेल पता उपलब्ध करायेगा। पक्षकार, यह कथन करते हुए न्यायालय में एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा दूसरे पक्षकार को दी गई इलेक्ट्रानिक मेल पता, उसकी सर्वोत्तम जानकारी में सही है।

12. **प्री-डिजाईन टेम्पलेट्स का उपयोग करते हुए डिजीटली हस्ताक्षरित आदेशिका को दी गई इलेक्ट्रानिक मेल पते पर भेजा जायेगा।—** यथास्थिति, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या उच्च न्यायालय या जिला न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा डिजीटली हस्ताक्षरित आदेशिका, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के परिशिष्ट ख में दिये गये प्रारूपों के अनुसार या न्यायालय द्वारा यथा निर्देशित प्ररूप में रूपांकित प्री-डिजाईन टेम्पलेट्स का उपयोग करते हुए, दी गई इलेक्ट्रानिक मेल पते में, दस्तावेजों की स्कैन की गई आकृति के साथ, दूसरे पक्षकार को भेजा जायेगा। मेल का वापस आना, वैध तामील नहीं होगा।

13. **इलेक्ट्रानिक मेल सेवा द्वारा आदेशिका/दस्तावेजों को भेजने के लिए शुल्क का जमा किया जाना।—** आदेशिका, पक्षकार द्वारा शुल्क ऐसी दर पर, जैसा कि इसके लिये उच्च न्यायालय द्वारा और जिला न्यायालय द्वारा अवधारित किया जाये, जमा करने के पश्चात् इलेक्ट्रानिक मेल सेवा द्वारा भेजा जायेगा।

अध्याय—पांच
प्रकीर्ण

14. **साक्षियों को समन।**— इन नियमों के प्रावधान, साक्ष्य देने या दस्तावेजों या अन्य सारवान वस्तुयें प्रस्तुत करने हेतु समनों पर लागू होंगे।
15. **कार्यवाहियों के दौरान नोटिस या अन्य संसूचना।**— न्यायालय निर्देश दे सकता है कि वाद या किसी अन्तर्वर्ती कार्यवाही के किसी भी पक्षकार को, नोटिस या कोई अन्य संसूचना कूरियर, फैक्स या इलेक्ट्रानिक मेल सेवा द्वारा ऐसी रीति में और ऐसे प्रारूप में जैसा कि वह समुचित समझ, भेजा जाये। इलेक्ट्रानिक मेल सेवा द्वारा भेजे गये ऐसे नोटिस या संसूचना को, न्यायालय द्वारा या इस निमित्त अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा डिजीटली हस्ताक्षरित किया जायेगा।
16. **पक्षकार, फैक्स या इलेक्ट्रानिक मेल सेवा द्वारा तामील कराये जाने हेतु स्वेच्छा से आवेदन कर सकता है।**— मामले के विचारण के दौरान, वाद या अन्तर्वर्ती कार्यवाही का कोई भी पक्षकार, अपने फैक्स नम्बर या इलेक्ट्रानिक मेल पता या दोनों देते हुए लिखित में यह निवेदन करते हुए, आवेदन प्रस्तुत कर सकता है कि उनको न्यायालय की नोटिस या संहिता के अन्तर्गत किसी अन्य संसूचना को दिये गये फैक्स नम्बर या अभिहित इलेक्ट्रानिक मेल पते पर, तामील किया जाये उक्त नंबर या पते में भेजा गया कोई नोटिस या संसूचना, ऐसे पक्षकार पर ऐसे नोटिस या संसूचना की वैध तामील होगी।
17. **न्यायालय की शक्तियों की व्यावृत्ति।**— इन नियमों में दी गई कोई भी बात, संहिता या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में यथा उपबंधित समन या नोटिस या अन्य संसूचना की तामिली के संबंध में न्यायालय की शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

रजिस्ट्रार जनरल,

प्रकृप 'क'

[(देखिए नियम 4 (क)।]

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

निविदा की अंतिम तिथि :—

क्र. :

दिनांक :

कूरियर सेवाओं हेतु

निविदा आमंत्रित करने की सूचना

न्यायालयों से प्रेषित पत्रों, नोटिस/समन, पार्सल आदि की सुपुर्दी के लिये, देश के प्रत्येक कोने-कोने में या भारत के बाहर, कूरियर सेवा हेतु अनुबंध करने के लिये कूरियर सेवा के क्षेत्र में खाति प्राप्त फर्म, कंपनी या अन्य निगमित निकाय से इससे संलग्न प्रारूप के अनुसार सीलबंद निविदाये आमंत्रित की जाती है।

ऐसे कूरियर को प्राथमिकता दी जायेगी जो ऐसी विशेषताएं रखते हों जैसे कि सुरक्षा, दूरगति, खोज, विशेषज्ञता एवं वैयक्तिक सेवा, निश्चित सुपुर्दी समय एवं पूरे देश में विस्तृत नेटवर्क, जिसमें दूरस्थ क्षेत्र के साथ साथ भारत के बाहर सेवा की पर्याप्त व्यवस्था सम्मिलित है।

निबंधन एवं शर्तें

- निविदाकर्ता द्वारा अपने वर्तमान व्यवसाय, स्थायी पते, देश और भारत के बाहर पूर्ण नेटवर्किंग, पिछले तीन वर्षों के संपर्कित लेख, कूरियर सेवाओं के क्षेत्र में अनुभव और प्रतिभित/महत्वपूर्ण ग्राहकों की सूची और छत्तीसगढ़ में किसी न्यायालय के समक्ष लंबित वाद, जिसमें वह प्रक्षकार है, यदि कोई है, के बारे में विवरण, परिशिष्ट "क" के अनुसार अनिवार्यतः प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
- प्रत्येक लिफाफे पर (क) कूरियर सेवा हेतु निविदा, और (ख) कूरियर सेवाओं हेतु अग्रिम धन उपरिलिखित करते हुए दो अलग अलग सीलबंद लिफाफे (एक) निविद और (दो) अग्रिम धन प्रस्तुत करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिये।
- निविदाकर्ताओं से पूरे भारत और भारत के बाहर कूरियर सेवा प्रदान करने हेतु अपनी सबसे कम प्रतियोगी दरें उत्कृष्ट करना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के बाहर सुपुर्दी एवं अच देशों में सुपुर्दी के लिये अलग अलग दरें, स्थानीय (राज्य के भीतर) सुपुर्दी के लिए उत्कृष्ट की जायें।
- कूरियर सेवाओं के लिये निविदाकर्ता द्वारा उत्कृष्ट दरें, स्थीकृति की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए वेध होनी चाहिये।
- निविदाकर्ताओं द्वारा अपने निविदा के साथ साथ "रजिस्ट्रार जनरल", छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पक्ष में आहरित रु. 20,000 (वीस हजार रुपये मात्र) के लिमांड ड्रॉफट अग्रिम राशि के रूप में भेजा जाना आवश्यक होगा, जो असफल निविदाकर्ताओं को इस संबंध में उनके लिखित अनुरोध पर वापस कर की जायेगी। फर्म का नाम, टेलीफोन नंबर और "कूरियर सेवा", डिमांड ड्राफ्ट के पीछे लिखी जाये।
- सफल निविदाकर्ता को स्थीकृति पत्र की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर 20,000 रुपये जो उसने अग्रिम राशि के रूप में निविदा के साथ पहले से ही जमा किये थे, का सामयोजन करने के पश्चात निष्पादन सुरक्षा प्रतिशुति के रूप में रु. 40,000 (चालीस हजार रुपये मात्र) जमा करना पड़ेगा, जिसे अनुबंधित कालावधि के सफलतापूर्वक पूरा होने पर तथा अंतिम देयक के भुगतान से दो माह के पश्चात, वापस कर दिया जायेगा।
- पत्र, नोटिस/समन/पार्सल की सख्ति में, आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के आधार पर कमी/वृद्धि हो सकती है और समस्त पत्रों, नोटिस/समन/पार्सल को कूरियर के माध्यम से अनिवार्यतः नहीं भेजा जा सकेगा।
- कूरियर, उनके द्वारा सुपुर्द किये जाने वाले दस्तावेजों/सामानों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए अकेले ही उत्तरदायी होगा।
- किये गये कार्य की राशि का मुगातान, सुपुर्दी के प्रमाण प्रस्तुत करने या इस न्यायालय को लिफाफा वापस किये जाने के अध्यधीन रहते हुए, देयक की प्रस्तुति के पश्चात, मासिक आधार पर किया जायेगा।

10. सेवा प्रदाता, 30 दिवस की कालावधि के भीतर न्यायालयों से अभिस्वीकृति के अधीन, तामील आदेशिका के मामले में प्राप्तकर्ता के सुस्पष्ट हस्ताक्षर के साथ सुपुर्दगी का प्रमाण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा अथवा तामील न किये गये आदेशिका के मामले में सुपाठ्य हस्तलेखन द्वारा उचित रिपोर्ट के साथ लिफाफा वापस करेगा। संबोधिती द्वारा इंकार किये जाने की दशा में, वस्तु लेने से इंकार करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पद नाम या संबोधिती से उसके संबंध का, तामील न किये गये वस्तु पर स्पष्ट रूप से वर्णित किया जायेगा।
11. सुपुर्दगी किये जाने के प्रमाण को, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा जिसने डाक सुपुर्द किया था और साथ ही न्यायालय परिसर में अवस्थित काउंटर पर कूरियर के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर भी किया जायेगा।
12. न्यायालय परिसर में कूरियर काउंटर के प्रबंधन के लिये नियुक्त उत्तरदायी अधिकारी, डाक वस्तु की तामील के पश्चात् वापस किये गये प्रत्येक सुपुर्दगी के प्रमाण के साथ डाक वस्तु की तामील के समर्थन में या इसकी सुपुर्दगी न हो सकने की दशा में, जैसे भी स्थिति हो, रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा अनुमोदित प्ररूप में अपना शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
13. सेवा प्रदाता को प्रभार नहीं दिया जायेगा, यदि उसके द्वारा न तो सुपुर्दगी का प्रमाण और न ही तामील न किये गये पत्र, नोटिस/समन या पार्सल को इस न्यायालय को अभिस्वीकृति के अधीन नियत अवधि के भीतर वापस कर दिया जाता है एवं/या वैध कारण के बिना, नियत अवधि के भीतर सुपुर्दगी नहीं की जाती है।
14. कूरियर के उपर, प्रत्येक परेषण हेतु जिसके लिये न तो सुपुर्दगी का संतोषजनक प्रमाण और न ही वापस आया हुआ लिफाफा प्रेषण की तिथि से 30 दिवस के भीतर इस न्यायालय को वापस दिया जाता है तो उसके लिये कूरियर पर रु. 25 का जुर्माना किया जायेगा एवं उक्त राशि वर्तमान या आने वाले मास के देयक/प्रतिभूति जमा में से घटा दी जायेगी।
15. कूरियर को इस न्यायालय की अधीन प्रेषण/स्थापना अनुभाग से अभिस्वीकृति के अधीन लिफाफों को संग्रह करना पड़ेगा एवं सुपुर्दगी का प्रमाण/तामील न हुए लिफाफों को देना पड़ेगा।
16. सेवा प्रदाता को, सभी लिफाफों/पत्रों/पार्सलों इत्यादि को सुपुर्द करने के लिये आवश्यक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा जिन पर संबंधित रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की राय में प्रेषिती का यथोचित पता लिखा है। रजिस्ट्री, सीधे निविदाकर्ताओं से संव्यवहार करेगी एवं निविदाकर्ताओं के द्वारा उनके मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिये मध्यस्थों/अभिकर्ताओं/कमीशन अभिकर्ताओं इत्यादि को नहीं कहा जाना चाहिये तथा वे रजिस्ट्री के द्वारा ग्रहण नहीं किये जायेंगे।
17. रजिस्ट्री, किसी अथवा सभी निविदाओं को इस हेतु बिना कोई कारण बताये पूर्णतः या अंशतः अस्वीकार करने अथवा स्वीकार करने का अधिकार रखती है।
18. अक्षरों के लिप्त लेखन, लिप्त टंकण एवं मिटाने की अनुमति नहीं है और यदि इस प्रकार संदेहजनक अथवा संदिग्ध प्रतीत होता है तो वह निविदा को अवैध बना देगा।
19. उच्च न्यायालय, उक्त संविदा को प्रदान करने के पश्चात् भी, यदि संविदाकार की सेवायें संतोषजनक नहीं पाई जाती है अथवा किसी दी गई अवधि के दौरान खण्ड 14 से आच्छादित मामलों का असाधारण रूप से अधिक होना पाया जात है अथवा सेवा में कमी की दशा में उक्त संविदा को समाप्त करने तथा कार्य को किसी अन्य संविदाकार को सौंपने एवं संविदाकार जिसने व्यतिक्रम कारित किया है निविदा के पूरे खर्चों की वसूली करने का अधिकार आरक्षित रखता है।
20. उच्च न्यायालय, संविदा को समाप्त करने का अधिकार आरक्षित रखता है, यदि वह किन्हीं प्रशासनिक कारणों से भी ऐसा आवश्यक समझता है। इच्छुक पक्षकारगण अपनी सीलबंद लिफाफों में, जिनमें से एक निविदा को प्रस्तुत करने एवं एक अन्य अग्रिम राशि को रखने हेतु, प्रत्येक लिफाफे के उपर (एक) कूरियर सेवाओं के लिये निविदा और (दो) कूरियर सेवाओं के लिये अग्रिम राशि उपरिलिखित करके अधोहस्ताक्षरी को नाम के द्वारा संबोधित करके इस प्रकार भेज दे जिससे वह दिनांकसमयअपरान्ह तक अथवा उससे पहले पहुंच जाये जिनके इस उद्देश्य के लिये गठित अनुशंसा समिति के द्वारा उसी दिन कक्ष क्रमांकमें समयअपरान्ह को निविदाकर्ताओं या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों जो उपस्थित रहने के इच्छुक हों, के समक्ष खोला जायेगा। नियत तिथि एवं/या समय के पश्चात् एवं/या बिना अग्रिम राशि के प्राप्त हुई निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट 'क'

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

क्र. :
दिनांक :

प्रारूप

कूरियर सेवाओं के लिये निविदा आमंत्रित करते हुए नोटिस के संदर्भ में निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत करने हेतु

1. कूरियर सेवा का नाम:
2. पत्र व्यवहार का पता:
3. सम्पर्क हेतु व्यक्ति के नाम के साथ उसका मोबाइल/दूरभाष संख्या:
4. स्थायी पता :
5. छत्तीसगढ़ में किसी भी न्यायालय में लंबित वाद जिसमें वह पक्षकार है, यदि कोई हो, का विवरण:
6. देश में और भारत के बाहर अपनी समस्त स्थापनाओं/ कार्यालयों के नाम एवं पते सहित संपर्क हेतु व्यक्तियों के नाम एवं दूरभाष संख्या और प्रत्येक स्थापना/ कार्यालय में कर्मचारी की कुल संख्या:
7. वह अवधि जब से आप कूरियर सेवाये कर रहे हैं:
8. क्या पत्रों, नोटिसों/समनों, पार्सलों इत्यादि भारत के भीतर और भारत के बाहर सुदूर/दूरस्थ क्षेत्रों में सुपुर्दग्गी करने में सक्षम हैं:
9. पत्रों, नोटिसों/समनों, पार्सलों इत्यादि की सुपुर्दग्गी के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम अपेक्षित समय:
10. नीचे दिये गये प्रारूप के अनुसार अपने प्रतियोगी दरों को अनिवार्य रूप से उत्कथित करें (सेवा कर एवं शिक्षा उपकर को अपवर्जित करते हुए):

स. क्र.	गंतव्य	250 ग्राम तक	500 ग्राम तक	500 ग्राम से अधिक
1.	छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर			
2.	मध्यप्रदेश			
3.	ओडिशा			
4.	महाराष्ट्र			
5.	तेलंगाना			
6.	झारखण्ड			
7.	शेष भारत			
8.	भारत के बाहर			

हस्ताक्षर.....

(तारीख सहित).....

नाम

पदनाम

(कंपनी का रबर स्टाम्प)

प्रकृप 'ख'

[(देखिए नियम 5)]

अनुबंध

यह अनुबंध छत्तीसगढ़ में सन् 2017 के माह..... के दिवस को मेसर्स..... (जो इसमें इसके पश्चात "कूरियर" कहा जायेगा) जो अभियक्षित में, जब तक कि संदर्भ से अपवर्जित अथवा प्रतिकूल न हो, इस एक पक्ष के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को सम्मिलित करेणी एवं रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर (जो इसमें इसके पश्चात् उच्च न्यायालय कहा जायेगा) जो अभियक्षित में, जब तक कि संदर्भ से अपवर्जित अथवा प्रतिकूल न हो, इस दूसरे पक्ष के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को सम्मिलित करेणी ।

और यतः, दिनांक के समाचार पत्र में निविदा नोटिस के संक्षिप्त प्रकाशन के अनुसरण में एवं निविदाकार्ताओं द्वारा न्यायालयों से देश के भिन्न भागों, दूरवर्ती क्षेत्रों तथा भारत के बाहर को सम्मिलित करते हुए प्रेषित किये जाने वाले पत्रों, नोटिसों, समनों, पैकेटों इत्यादि की सुपुर्दग्नि हेतु कूरियर सेवाओं हेतु सविदा प्रदान करने के लिये निविदाये आमत्रित करते वाले विस्तृत निविदा सूचना दिनांक की प्रतीलिपि की प्राप्ति पर कूरियर ने उच्च न्यायालय में, कूरियर सेवाये प्रदान करने हेतु अपनी निविदा दिनांक प्रस्तुत की है। कूरियर ने विहित निविदान पत्र पर विधिवत उत्तर देकर एवं हस्ताक्षरित करके तथा अपनी कूरियर सेवाओं की दर सूची भी प्रस्तुत की है जो कि इस अनुबंध पत्र (परिशिष्ट-1) (जो इसमें इसके पश्चात् "निविदा" के रूप में सामृहिक रूप से निर्दिष्ट है) का आवश्यक भाग होने वाला जहां तक कि निविदा की निवेदन और शर्तों का इस अनुबंध में उपलब्धित निवेदन एवं शर्तों से विरोधाभास नहीं होता है, कूरियर पर बधानकारी रहेगी ।

और यतः, कूरियर को कार्य के लिये उपयुक्त पाये जाने पर एवं दरों का अनुमोदन किये जाने के पश्चात् न्यायालयों से दूरवर्ती एवं भारत के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए देश के विभिन्न भागों को प्रेषित किये गये पत्रों, नोटिसों, समनों, पारस्तों, इत्यादि की सुपुर्दग्नि हेतु कूरियर सेवाओं हेतु सविदा प्रदान की जा रही है ।

और यतः, इसके पक्षकाराण उत्तर कार्य को इसमें इसके पश्चात् दी गई शर्ति से करने के लिये इस अनुबंध पर सहमत हुए हैं ।

अतएव, यह अनुबंध साक्ष्य स्वरूप निमानुसार है :

यह कि कूरियर, सत्यापूर्वक एवं सदभावपूर्वक वयनबद्ध करेणा एवं उच्च न्यायालय/जिला न्यायालय से दूरवर्ती क्षेत्रों एवं भारत के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए देश के विभिन्न भागों को प्रेषित किये गये पत्रों, नोटिसों, समनों, पारस्तों इत्यादि की सुपुर्दग्नि के लिए कूरियर सेवाओं के कार्य को पूर्ण करेगा ।

यह कि कार्य को रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय अथवा समय पर प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी के द्वारा दिये गये निर्देशों एवं निविदा के अनुसार करना होगा एवं रोप विशिष्टियां निमानुसार वर्णित हैं:

1. कूरियर को स्वीकृति पत्र की प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर, पहले से निविदा के साथ अग्रिम धन के रूप में जमा राशि रूपये 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) के समायोजन के पश्चात् रूपये 40,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) निष्पादन प्रतिभूति जमा के रूप में जमा करने पड़ेंगे जो संविदा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर एवं अतिम देयक के भुगतान के दो माह के पश्चात् वापस कर दिया जायेगा ।
2. पत्रों, नोटिसों, समनों, पारस्तों की संख्या में, आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के आधार पर कमी या वृद्धि हो सकती है एवं समस्त पत्रों/ नोटिसों/समनों/पारस्तों को आवश्यक रूप से कूरियर के माध्यम से नहीं भेजा जा सकेगा ।
3. सेवा प्रदाना उसके द्वारा सुपुर्द किये जाने वाले अभिलेखों/सामग्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु अकेले ही उत्तरदायी होंगा ।

4. किये गये कार्य की राशि का भुगतान निम्नांकित दरों पर तथा सहायक रजिस्ट्रर/उप रजिस्ट्रर (जनरल) के द्वारा विधिवत प्रमाणित मासिक देयक के आधार पर सुपुर्दगी के प्रमाण अथवा वापस आये हुए लिफाफे को उच्च न्यायालय को प्रस्तुत कर देने के अध्यधीन रहते हुए देयक के प्रस्तुतीकरण के पश्चात किया जायेगा :—

सं. क्र.	गंतव्य	250 ग्राम तक	500 ग्राम तक	500 ग्राम से अधिक
1.	छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर			
2.	मध्यप्रदेश			
3.	ओडिशा			
4.	महाराष्ट्र			
5.	तेलंगाना			
6.	झारखंड			
7.	शेष भारत			
8.	भारत के बाहर			

5. कूरियर, 30 दिवस की कालावधि के भीतर रजिस्ट्री से अभिस्थिति के अध्यधीन, तामील आदेशिका के समले में प्राप्तकर्ता के साथ सुपुर्दगी का प्रमाण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा अथवा तामील न किये गये आदेशिका के समले में सुपार्टिय हस्तालेखन द्वारा उचित रिपोर्ट के साथ लिफाफा वापस करेगा। संबोधिती द्वारा इंकार किये जाने की दशा में, वरस्तु लेने से इंकार करने वाले देयकित का नाम एवं पद नाम या संबोधिती से उसके संबंध का, तामील न किये गये वरस्तु पर स्पष्ट रूप से वर्णित किया जायेगा।

6. सुपुर्दगी का प्रमाण, डाक का सुपुर्दगी लेने वाले देयकित के शपथ पत्र से समर्थित होगा।

7. कूरियर को प्रभार नहीं दिया जायेगा, यदि उसके द्वारा न तो सुपुर्दगी का प्रमाण और न ही तामील न किये गये पत्र, नोटिस/समन या पार्सल को न्यायालयों को वापिस कर दिया जाता है तो उसके लिये कूरियर पर रु 25/- की जुर्माना किया जायेगा एवं यह राशि वर्तमान अथवा आने वाले मास के देयक प्रतिमूलि जमा में से घटा दी जायेगी।

8. कूरियर उच्च न्यायालय को प्रेण/स्थापना शाखा से अभिस्थिति के अधीन लिफाफों को संग्रह करेगा एवं सुपुर्दगी का प्रमाण/तामील न हुए लिफाफों को देगा।

9. कूरियर को सभी लिफाफों/पत्रों/पार्सलों इत्यादि को सुपुर्द करने के लिये आवश्यक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा जिन पर संबंधित रजिस्ट्रर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की राय में प्रेषिती का यथोचित पता लिया हुआ है। रजिस्ट्री, कूरियर से सीधे ही संव्यवहार करेगी एवं कूरियर के द्वारा उसके मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिये मध्यस्थी/अभिकर्ताओं/कर्मीशन अभिकर्ताओं इत्यादि को नहीं कहा जायेगा तथा ये, रजिस्ट्री के द्वारा ग्रहण नहीं किये जायेंगे।

10. उच्च न्यायालय, यदि कूरियर की सेवायें संतोषजनक नहीं पायी जाती है अथवा किसी दी गई अवधि के दौरान खण्ड 8 से आच्छादित मामलों का असाधारण रूप से अधिक होना पाया जाता है अथवा सेवा में कमी की दशा में, उक्त संविदा को समाप्त करने तथा कार्य को किसी अन्य संविदाकार को सौंपने एवं संविदाकार, जिसने देयकित्रम कारित किया है, से निविदा के पूरे खर्चों की वसूली करने का अधिकार आरक्षित रखता है।

11. उच्च न्यायालय, यदि कूरियर की सेवायें संतोषजनक नहीं पायी जाती है अथवा किसी दी गई अवधि के दौरान खण्ड 8 से आच्छादित मामलों का असाधारण रूप से अधिक होना पाया जाता है अथवा सेवा में कमी की दशा में, उक्त संविदा को समाप्त करने तथा कार्य को किसी अन्य संविदाकार को सौंपने एवं संविदाकार, जिसने देयकित्रम कारित किया है, से निविदा के पूरे खर्चों की वसूली करने का अधिकार आरक्षित रखता है।

12. उच्च न्यायालय, संविदा को समाप्त करने का अधिकार आरक्षित रखता है यदि वह किसी प्रशासनिक कारणों से ऐसा कहना आवश्यक समझता है।

13. निविदा नोटिस में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों तथा इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये नियम, इस अनुबंध पत्र का आवश्यक भाग होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप पक्षकारों ने उपरोक्त लिखित तिथि को इस अनुबंध पत्र को निष्पादित कर दिया गया है।
साक्षीगण :—

1. (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
2. (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट 'X'

नियम 10 के अधीन फैक्स सुविधा के माध्यम से आदेशिका की तामीली हेतु प्रभार

स्थानीय : रु. 10/- प्रति पृष्ठ

एसटीडी : रु. 10/- प्रति पृष्ठ + एसटीडी प्रभार

नियम 13 के अधीन ई-मेल सुविधा के माध्यम से आदेशिका की तामीली हेतु प्रभार

प्रति आदेशिका : रु. 10/- दस व्यक्ति, जिसको आदेशिक भेजा जाना है

आदेशिका की तामीली के प्रयोजन हेतु दस्तावेजों के स्कैन करने हेतु प्रभार

ई-मेल सुविधा के माध्यम से : रु. 10/-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

Naya Raipur, the 22nd November 2017

NOTIFICATION

No. 11059/3468/21-B/C.G./17. — In exercise of the powers conferred by Section 122, 128 and 129 read with rule 9 of Order 5 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Chhattisgarh, with the prior approval of the State Government, hereby, makes the Chhattisgarh Courts Services of Processes by Courier, Fax and Electronic Mail Service (Civil Proceedings) Rules, 2017, the same having been previously published as required by Section 122 of the said Act, namely:-

'Chhattisgarh Courts Service of Processes by Courier, Fax and Electronic Mail Service (Civil Proceedings) Rules, 2017'

RULES CHAPTER-I

GENERAL

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) These rules may be called the Chhattisgarh Courts Services of Processes by Courier, Fax and Electronic Mail Service (Civil Proceedings) Rules, 2017.
 - (2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.
 - (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. **Application.**— These rules shall apply to, all civil proceedings including Suits, Writ Petitions, Applications, Appeals, Revisions or Reviews pending before the High Court of Chhattisgarh or any Sub-ordinate Court or Tribunal in the State of Chhattisgarh.
3. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Approved Courier" means the Courier on the panel of Approved Couriers;
 - (b) "Chief Justice" means the Chief Justice or the Acting Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh;
 - (c) "Code" means Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908);
 - (d) "Courier" means a proprietorship concern, a firm, a company or a body corporate engaged in the business of delivering postal articles;
 - (e) "District Judge" means the District and Sessions Judge of Chhattisgarh;
 - (f) "Electronic Mail" is a store and forward method of composing, sending, storing and receiving messages in electronic form via a computer based communication mechanism;
 - (g) "Electronic Mail Service" means the summons sent in pre-designed template form by electronic mail, digitally signed by the Presiding Officer of the Court or any other person authorized in this behalf by the High Court or the District Judge, as the case may be;
 - (h) "FAX" (a short form of facsimile) is the telephone transmission of scanned-in printed material (text or images) to a telephone number with a printer or any other output device;
 - (i) "Court" means all the courts within the State of Chhattisgarh including the High Court of Chhattisgarh and the Tribunals;
 - (j) "Postal Article" includes the envelopes, packets, parcels containing summons, notices, documents or other communications of the Court handed over for service to the Approved Courier with the label "COURT SUMMONS SERVICE";
 - (k) "Proof of Delivery" means the report submitted by the Approved Courier, in the format prescribed by these Rules of the service of summons/notices or any other communication of the Court and includes the reasons of non-delivery;
 - (l) "Recommendation Committee" means the committee constituted by the Chief Justice of the High Court, consisting of Registrar General, one officer of the High Court not below the rank of Joint Registrar and one officer of the Chhattisgarh Higher Judicial Services, for preparing a panel of proposed Approved Couriers;
 - (m) "Registrar General" means the Registrar General of the High Court of Chhattisgarh.

CHAPTER-II
SELECTION OF COURIER AND SERVICE BY COURIER

4. **Procedure for selecting an Approved Courier:-** (a) The High Court will invite tenders from the Couriers who desire to be selected as Approved Couriers, on the terms and conditions laid down in these rules and other directions and instructions issued by the High Court, from time to time, within a specified period as given in the notification. The tender will be issued as far as possible in Form 'A' appended with these rules.

(b) The Chief Justice will constitute a 'Recommendation Committee' consisting of :-

- (i) Registrar General, who will head the Committee;
- (ii) One officer not below the rank of a Joint Registrar; and
- (iii) One officer of Chhattisgarh Higher Judicial Services.

(c) The recommendation Committee will prepare a panel of all the proposed Approved Couriers taking into consideration,-

- (i) reputation of the Courier;
- (ii) past record of the Courier;
- (iii) structure of the organization of the Courier and its network including the financial capacity and standing;
- (iv) the experience and capacity of the Courier to provide the desired service;
- (v) willingness to abide by the terms and conditions as laid down in these rules; and
- (vi) readiness to fulfill the criterion laid down by the High Court.

(d) (i) The Recommendation Committee, after preparing the proposed panel will place it before the Chief Justice for consideration and approval of the panel of Approved Couriers. The Chief Justice will examine the entire list of the applicants as well as the proposed panel of Approved Couriers and after examining the same, issue appropriate directions notifying the final panel of selected Approved Couriers.

(ii) The Registrar General will intimate all the Approved Couriers of their being empanelled.

5. **Agreement and Undertaking by a Courier.-** The Approved Courier shall enter into an agreement, with such variations and modifications as may be found necessary in Form 'B' and shall also file an undertaking before the Registrar General, stating therein,-

- (a) that the Approved Courier is not a party to any litigation pending before any of the Courts in Chhattisgarh and if it is, make a full and complete disclosure of the same;
- (b) that the Approved Courier will be solely responsible for the safety and security of the documents/goods to be delivered by it;
- (c) that the postal article handed over to the Approved Courier will be handled only by its regular employees having reasonable knowledge of Hindi and English language;
- (d) that the Approved Courier would design its 'proof of delivery' in the format approved by the Registrar General;
- (e) that the Approved Courier would necessarily furnish proof of delivery in case of served processes with legible signatures of the recipient or returned envelope with a proper report in legible handwriting in case of unserved process within a period of 30 days, under acknowledgement from the Courts. In case of refusal by addressee, the name and designation of the person refusing the article or his relationship with the addressee, shall be clearly mentioned on the unserved article; and
- (f) a proof of delivery shall be supported by an affidavit of the person delivering the post.

6. **Procedure for removing the Courier from the panel of Approved Couriers.-** (a) Name of the Courier will be liable to be removed from the panel if,-

- (i) the Court, which has issued the summons or on whose behalf summons has been issued, finds *prima facie* the person employed by the Courier to deliver the postal article entrusted to the courier to have filed a false affidavit or given a false report, as the case may be;
- (ii) it is found that the Courier is not providing the service up to the expectation of the litigants or advocates or the Court;
- (iii) it is found that the Courier has been rendering deficient service;
- (iv) it is found that the Courier has made false statement in the application; and
- (v) it is found that the Courier has done something which may be considered as the sufficient ground to remove the Courier from the panel.

(b) As soon as it comes to the knowledge of the Registrar General that the Courier has acted in violation of clause (a) above or it has been brought to his knowledge that it has done something which makes the Courier liable to be removed under this Rule, he will make an inquiry in this respect him-self or depute anyone to make inquiry in this respect. If the Registrar General comes to the conclusion that the Courier has done something which makes it liable to be removed from the panel, he will call for an explanation of the Courier as to why it should not be removed. The Registrar General shall place the reply, if any, received from the Courier proposed to be removed along with his recommendations before the Chief Justice.

(c) The Chief Justice, after going through the recommendations of the Registrar General, reply, if any, submitted by the Courier and on making such further inquiries as the Chief Justice may consider appropriate, may approve the recommendations of the Registrar General for the removal of the Courier from the panel of Approved Couriers or pass such orders or give such directions as the Chief Justice may consider appropriate.

(d) In case of recommendation of removal of the Courier being approved by the Chief Justice, name of the Courier shall be removed from the panel of Approved Couriers and the Registrar General shall inform the said Courier accordingly.

CHAPTER-III SERVICE BY FAX

7. **Parties to provide Fax number, if desire to serve the other party by Fax.-** A party desirous of sending the process by Fax shall provide the Fax Number of the other party whom it would like to serve by Fax.

8. **Process by Fax to bear the number of pages faxed with process.-** The process being sent by Fax will bear the note that the same is being sent by Fax with or without documents. In case the documents are also being sent by Fax, the number of pages being sent shall also be mentioned on the process.

9. **Party to bear cost of process to be sent by Fax.-** In case a party is permitted to send the process by Fax, such party shall bear the cost of sending the process and the documents, if any, sent along with it. The party sending the process shall submit the receipt of having sent the Fax to the Court without any delay along with an affidavit in support of having sent the process by Fax.

10. **Fee for sending process/documents by Fax using Court facility.-** Where the process is to be sent with or without the documents by a facility provided by the High Court, the party shall be asked to deposit fee at such rate as may be determined by the High Court for itself and the District Courts.

CHAPTER-IV
SERVICE BY ELECTRONIC MAIL SERVICE

11. **Parties to provide electronic mail address, if desire to serve the other party by electronic mail.**- A party desirous of sending the process to the other party by Electronic Mail Service shall provide true soft copy of the entire document and electronic mail address of the other party or a party whom it would like to serve by Electronic Mail Service. Party shall file an affidavit in Court stating that the electronic mail address of the other party given by him is correct to the best of his knowledge.
12. **Digitally signed process to be sent at the given electronic mail address by using pre-designed templates.**- The process digitally signed by the Presiding Officer of the Court or any other officer authorized by the High Court or the District Judge in this behalf, as the case may be, will be sent at the given electronic mail address of the other party by using the pre-designed templates, designed in accordance with the formats provided in Appendix B of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) or in the form as directed by the Court, with the scanned images of the documents. The bouncing of mail shall not constitute valid service.
13. **Fee for sending process/documents by Electronic Mail Service to be deposited.**- The process would be sent by Electronic Mail Service after the party has deposited the fee at such rate as may be determined by the High Court for itself and the District Courts.

CHAPTER-V
MISCELLANEOUS

14. **Summons to witness.**- The provisions of these rules shall apply to summons to give evidence or to produce documents or other material objects.
15. **Notices or other communication during the proceedings.**- The court may direct that a notice or any other communication to any of the parties to the suit or any interlocutory proceeding, before it, may be sent by Courier, Fax or Electronic Mail Service in the manner and in the format it may consider appropriate. Such notices or communications sent by the Electronic Mail Service shall be digitally signed by the Court or by any Officer authorized in this behalf.
16. **Parties may voluntarily apply to be served by Fax or Electronic Mail Service.**- During the trial of the case, any of the party to the suit or interlocutory proceedings, may file an application in writing giving its Fax number or the electronic mail address or both, with the request that it may be served with the notices of the Court or any other communication under the Code at the given Fax number or the designate electronic mail address. Any notice or communication sent at the said number or address will constitute a valid service of such notice or the communication on such party.
17. **Saving of the powers of the Court.**- Nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the power of the Court relating to service of summons or notices or other communications as given in the Code or any other law for the time being in force.

Registrar General,

FORM 'A'
[See rule 4(a)]

HIGH COURT OF CHHATTISGARH

LAST DATE OF TENDER :-

No:
Dated :Notice Inviting Tenders
For Courier Services

Sealed tenders are invited, as per Proforma enclosed herewith, from reputed firms, companies or other Body Corporate in the field of courier services for awarding of contract for Courier Services for delivery of letters, notices/summons, parcels, etc. dispatched from Courts to every nook and corner of the country and outside India.

Preference will be given to the Courier having features such as security, speed, tracking, specialized and individualized service, committed delivery time and large network throughout the country, including remote areas as well as adequate arrangement for service outside India.

TERMS AND CONDITIONS

1. The tenderer shall be required to furnish details about his present business, permanent address, complete networking in the country and outside India, audited accounts for the past three years, experience in the field of courier services and list of valued/important clients and litigation, if any, pending before any of the Courts in Chhattisgarh in which it is a party, compulsorily as per Annexure 'A'.
2. Two separate sealed envelopes should be used for submitting (i) tender and (ii) earnest money, on each envelope super scribing (a) Tender for Courier Services, and (b) Earnest Money for Courier Services.
3. The tenderers are required to quote their lowest competitive rates for courier services to be provided throughout India and outside India. Separate rates may be quoted for local delivery (within State), in land delivery outside Chhattisgarh and delivery in other countries.
4. The rates quoted by the tenderer for courier services should be valid for a period of one year from the date of acceptance.
5. The tenderers are required to send their tender along with a demand draft of Rs. 20,000 (Rupees twenty thousand only) drawn in favour of the "Registrar General, High Court of Chhattisgarh" as earnest money, which will be refunded to the unsuccessful tenderers on their written request with respect thereto. Name of the firm, telephone number and 'Courier Services' may be written on the reverse side of the demand draft.
6. The successful tenderer shall have to deposit Rs. 40,000/- (Rupees forty thousand only) as Performance Security Deposit within one week from the date of receipt of acceptance letter after adjusting Rs. 20,000 already deposited with the tender as Earnest Money, which will be refunded on successful completion of the contractual period and after two months from the payment of last bill.
7. The number of letters, notices/summons, parcels may decrease/increase depending upon the exigency/requirement and all the letters, notices/summons/parcels may not necessarily be sent through courier.
8. The Courier will be solely responsible for the safety and security of the documents/goods to be delivered by them.

9. Payment of the work done shall be made on monthly basis after presentation of the bill subject to submitting proof of delivery or returned envelope to this Court.
10. The service provider will have to necessarily furnish proof of delivery in case of served processes with legible signatures of the recipient or return envelope with a proper report in legible handwriting in case of unserved process within a period of 30 days, under acknowledgement from the Courts. In case of refusal by addressee, the name and designation of the person refusing the article or his relationship with the addressee, shall be clearly mentioned on the unserved article.
11. The proof of delivery would be signed by the person who had delivered the post and also counter signed by the responsible officer of the Courier posted at the counter Located in the Court's complex.
12. With every proof of delivery returned after the service of postal article, the responsible officer, appointed to manage its counter in the Court's complex, will file his own affidavit in support of the service of the postal article or its non-delivery, as the case may be, in the format approved by the Registrar General.
13. No charges shall be paid to the service provider if neither proof of delivery nor unserved letter, notice/summon or parcel is returned back to this Court under acknowledgement within stipulated period and/or the delivery was not effected without valid reason within stipulated period.
14. There shall be a penalty of Rs.25/- upon the courier for each consignment for which neither satisfactory proof of delivery nor returned envelop is provided back to this Court within 30 days from the date of dispatch and the same will be deducted from the bill of current of coming month/security deposit.
15. The courier shall have to collect envelope from and provide proof of delivery/unserved envelopes to Dispatch/Establishment Section of this Court under acknowledgment.
16. The service provider shall necessarily have to accept, for delivery, all the envelopes/letters/ parcels, etc. which, in the opinion of the concerned Registrar, High Court of Chhattisgarh, bear adequate address of the consignee. The Registry will deal with the tenderers directly and no middlemen/agent/commission agents, etc. should be asked by the tenderers to represent their cause and they will not be entertained by the Registry.
17. The Registry reserves the right to reject or accept any or all the tenders, wholly or partly, without assigning any reason.
18. Over-writing, over-typing or erasing of the figures are not allowed and shall render the tender invalid if it appears to be doubtful or ambiguous.
19. Even after awarding the said contract, the High Court reserves the right to terminate the same, if the services of the contractor are not found satisfactory, or that instances covered by clause 14 are exceptionally high during any given period, or in case of deficiency of service, and to entrust the work to another contractor, and to recover the entire expenses for tender from the contractor who committed default.
20. The High Court also reserves the right to terminate the contract if it considers so necessary for any administrative reasons. Interested parties may send their sealed tender in two separate sealed envelopes, one for submitting the tender and another containing Earnest Money, on each envelop super scribbling (i) Tender for Courier Services and (ii) Earnest Money for Courier Services addressed by name to the undersigned so as to reach on or beforeupto.....p.m. which will be opened at p.m. on the same day in Room No by the Recommendation Committee constituted for the purpose before the tenderers or their authorized representatives who may wish to remain present. The tenders received after due date and/or time and/or without Earnest Money shall not be entertained.

ANNEXURE 'A'

HIGH COURT OF CHHATTISGARH

No.
Dated :

PROFORMA

TO BE SUBMITTED BY THE TENDERERS WITH REFERENCE
TO NOTICE INVITING TENDER FOR COURIER SERVICES

1. Name of the Courier Service:
2. Postal Address:
3. Mobile/Phone Number with the Name of the contact person:
4. Permanent Address:
5. Details of litigation, if any, pending before any of the Courts in Chhattisgarh in which it is a party:
6. Name and addresses of all your Establishments/offices in the country and outside India along with telephone numbers, name of contact persons and total number of staff members at each establishment/ office :
7. Period from which you have been Running Courier Services:
8. Whether capable to deliver letters, Notices/summons, parcels etc. in far flung/remote areas within and outside India :
9. Minimum and maximum time required for delivery of letters, notices/summons, parcels, etc.:
10. Quote your competitive rates compulsorily as per below format (excluding service tax and education cess) :

S.No.	Destination	Upto 250 gms.	Upto 500 gms.	Above 500 gms.
1.	Within State of Chhattisgarh			
2.	Madhya Pradesh			
3.	Odisha			
4.	Maharashtra			
5.	Telangana			
6.	Jharkhand			
7.	Rest of India			
8.	Outside India			

SIGNATURE.....
 (with date).....
 Name.....
 Designation.....

(Rubber stamp of the Company)

FORM 'B'
(See rule 5)

AGREEMENT

This agreement is entered into atChhattisgarh on this theday of2017, between M/S.(hereinafter called "The Courier") which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, include its successors and assignees of the one part and the Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bodri, Bilaspur (hereinafter called the High Court) which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, include its successors and assignees of the other part.

And Whereas pursuant to the abridged publication of a Tender Notice innewspaper onand on receipt of copy of detailed Tender Notice datedby the tenderers inviting tenders for awarding of Contract for Courier Services for delivery of letters, notices, summons, packets, etc. to be dispatched from the Courts to various parts of the country, including remote areas and outside India, the Courier submitted its tender datedfor providing Courier Services in the High Court. The Courier also submitted duly answered and signed prescribed proforma and rate list of their Courier Services, which shall form part and parcel of this agreement (Annexure-1) (hereinafter collectively referred as "Tender") and shall remain binding on the Courier, in so far as terms and conditions in the tender do not conflict with the terms and conditions set out in this Agreement.

And Whereas the Courier, having been found to be suitable for the job and their rates having been approved is being awarded the contract for Courier Services for delivery of letters, notices, summons, parcels, etc. dispatched from the Courts to various parts of the country, including remote areas and outside India.

And Whereas, parties hereto have agreed to enter into this Agreement for the said job in the manner hereinafter appearing.

Now This Agreement Witnesseth as Follows:

That the Courier shall truly and faithfully undertake and complete the job of courier services for delivery of letters, notices, summons, parcels, etc. dispatched from the High Court/District Courts to various parts of the country including remote areas and outside India.

That the work shall have to be carried out as per tender and directions of the Registrar General, High Court or any other authorized officer from time to time and more particularly described as under :

1. The Courier shall have to deposit Rs. 40,000/- (Rupees forty thousand only) as Performance Security Deposit within one week from the date of receipt of acceptance letter after adjusting Rs. 20,000/- (Rupees twenty thousand only) already deposited with the tender as Earnest Money, which will be refunded on successful completion of the contractual period and after two months from the payment of last bill.
2. The number of letters, notices, summons, parcels may decrease/increase depending upon the exigency/requirement and all the letters/notices/summons/parcels may not necessarily be sent through courier.
3. The service provider will be solely responsible for the safety and security of the documents/goods to be delivered by them.

4. Payment of the work done shall be made on monthly bill basis after presentation of the bill subject to submitting proof of delivery or returned envelope to the High Court at the following rates and duly certified by the Assistant Registrar/Deputy Registrar (General).

S.No.	Destination	Upto 250 gms.	Upto 500 gms.	Above 500 gms.
1.	Within State of Chhattisgarh			
2.	Madhya Pradesh			
3.	Odisha			
4.	Maharashtra			
5.	Telangana			
6.	Jharkhand			
7.	Rest of India			
8.	Outside India			

5. The Courier will have to necessarily furnish proof of delivery in case of served processes with legible signatures of the recipient or return envelope with a proper report in legible handwriting in case of unserved process within a period of 30 days, under acknowledgement from the Courts. In case of refusal by addressee, the name and designation of the person refusing the article or his relationship with the addressee, shall be clearly mentioned on the unserved article.

6. Proof of delivery shall be supported by an affidavit of the person delivering the post.

7. No charges shall be paid to the Courier if neither proof of delivery nor unserved letter, notice, summon or parcel is returned back to the Courts under acknowledgement within stipulated period and/or the delivery was not effected without valid reason within stipulated period.

8. There shall be a penalty of Rs.25/- upon the Courier for each consignment for which neither satisfactory proof of delivery nor returned envelope is provided back to the Courts within 30 days from the date of dispatch and the same will be deducted from the bill of current or coming month/security deposit.

9. The courier shall collect envelopes from and provide proof of delivery/unserved envelopes to Dispatch/Establishment Section of the High Court under acknowledgement.

10. The courier shall necessarily have to accept for delivery, all the envelopes/letters/parcels, etc. which, in the opinion of the concerned Registrar, High Court of Chhattisgarh, bear adequate address of the consignee. The Registry will deal with the Courier directly and no middlemen/agents/commission agents, etc. shall be asked by the Courier to represent its cause and they will not be entertained by the Registry.

11. The High Court reserves the right to terminate the contract, if the services of the courier are not found satisfactory, or that instances covered by clause 8 are exceptionally high during any given period, or in case of deficiency of service, and to entrust the work to another contractor, and to recover the entire expenses for tender from the contractor who committed default.

12. The High Court also reserves the right to terminate the contract if it considers so necessary for any administrative reasons.

13. The terms and conditions mentioned in the tender notice and the rules framed by the High Court in this regard shall form part and parcel of this agreement.

In Witness Whereof the parties have executed this agreement on the date above written .

WITNESSES:

(Signature of first party)

1.

(Signature of second party)

2.

ANNEXURE 'X'

Charges for service of process through Fax facility under Rule 10

Local : Rs. 10/- per page

S.T.D. : Rs. 10/- per page + STD charges

Charges for service of process through E-mail facility under Rule 13

Per process : Rs. 10/- X number of persons to whom the process is to be sent

Charges for Scanning of documents for the purposes of service of process through E-mail per page. : Rs. 10/-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR HOTA, Additional Secretary.